

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 21/2021

1. रामनारायण पुत्र
 2. सुरेश पुत्र
 3. केलाशबाई पुत्री
 4. सुशिला बाई पुत्री
- स्व० गोरधन जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम धुमरखेडी तहसल मांगरोल
जिला बारां (राज०)

.....वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज०)

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर०टी०एक्ट०

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री हरिओम प्रजापति

दायरा दिनांक: 02.02.2021

निर्णय दिनांक : 28.07.2022


प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के आराजी खाता संख्या 122 खसरा नं० 446 रकबा 0.48 है०, खाता संख्या 15 खसरा नं० 384/549 रकबा 0.22 है०, खसरा नं० 391 रकबा 0.34 है०, खसरा नं० 392/552 रकबा 0.06 है० कुल किता 3 रकबा 0.62 है०, खाता संख्या 53 खसरा नं० 10 रकबा 1.57 है०, खसरा नं० 11 रकबा 0.13 है०, खसरा नं० 6 रकबा 0.81 है०, खसरा नं० 9 रकबा 0.24 है० कुल किता 4 कुल रकबा 2.57 है० वाके ग्राम धुमरखेडी तहसील मांगरोल में स्थित है। उक्त आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। यह कि विवादित आराजी में खाता संख्या 122 व 53 में वादीगण की जाति बलाई एवं खाता संख्या 15 में जाति चमार दर्ज हो रही है जो कि वादीगण की जाति मेघवाल है तथा राजस्व रिकार्ड में सही जाति मेघवाल दर्ज करवाना चाहते हैं। यह कि वादीगण के अन्य सहखातेदारान भी मेघवाल जाति के ही हैं सहखातेदारान की जाति सही दर्ज हो रही है। लेकिन वादीगण की जाति चमार व बलाई दर्ज हो रही है। जो गलत है। वादीगण की वास्तविक जाति मेघवाल है। वादीगण को गलत जाति दर्ज होने से मुआवजा प्राप्त करने व अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में परेशानी का सामना करना पडता है। वादीगण जाति दुरुस्त करवाने के कानूनी अधिकारी हैं।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 02.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक:—राजस्व/2021/760 दिनांक 06.09.2021 के अनुसार खाता संख्या 53 रकबा 2.57 है० में खातेदार रामनारायण सुरेश वगै० दर्ज है। प्रार्थी के खाता संख्या 122 एवं 53 में वादीगण की जाति बलाई दर्ज है। जबकि खाता संख्या 15 में जाति चमार दर्ज है जो

अशोभनीय भाषा में दर्ज है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज जाति प्रमाण-पत्र में प्रार्थी की जाति मेघवाल दर्ज है। अतः प्रार्थी की जाति बलाई एवं चमार के स्थान पर मेघवाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों तथा बयान गवाहान वादीगण कम 1 व 2 व धर्मवीर पुत्र गोगराज जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुमरखेड़ी के आधार पर वाके ग्राम धुमरखेड़ी तहसील मांगरोल आराजी खाता संख्या 122 व 53 में वादीगण की जाति बलाई के स्थान पर मेघवाल एव खाता संख्या 15 में वादीगण की जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, एवं इसके साथ-साथ यदि वादीगण की पुरानी जाति को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो तो उसके लिए वादीगण स्वयं जिम्मेवार होंगे। पत्रावली फौशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(रजत कुमार विजयवर्गीय)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल